ऑन लाईन नं. **RCMS 2023/203**

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार , आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 37 / 2023

1. गुरशरण सिंह पुत्र श्री स्वर्ण सिंह जाति जटसिख निवासी 5 एलएल तहसील व श्रीगंगानगर। –अपीलांट

बनाम

1. गुरेन्द्र सिंह पुत्र स्वर्ण सिंह जाति जटसिख निवासी 5 एलएल तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. जसवीर सिंह पुत्र स्वर्ण सिंह जाति जटसिख हाल निवासी मकान नम्बर 504, गली नम्बर 15, मेहता रोड़ मकबुलपुरा अमृतसर (पंजाब) **(मृतक)**
   2/1 अनमोलदीप सिंह पुत्र जसवीर सिंह जाति जटसिख हाल निवासी मकान नम्बर 504, गली नम्बर 15, मेहता रोड़ मकबुलपुरा अमृतसर (पंजाब)
   2/2 अशमनदीप कौर पुत्री जसवीर सिंह जाति जटसिख हाल निवासी मकान नम्बर 504, गली नम्बर 15, मेहता रोड़ मकबुलपुरा अमृतसर (पंजाब)
   2/3 परविन्द्र कौर पुत्री जसवीर सिंह जाति जटसिख हाल निवासी मकान नम्बर 504, गली नम्बर 15, मेहता रोड़ मकबुलपुरा अमृतसर (पंजाब)
3. उप तहसीलदार (राजस्व) चूनावढ़ । – रेस्पोडेंटान

अपील विरूद्ध आदेश उप तहसीलदार (भू0अ0) चूनावढ दिनांक 30.07.2021 जिसकी रूह से स्वर्ण सिंह पुत्र तेजा सिंह की कृषि भूमि वाके चक 5 एलएल तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 34 व 41 की कुल 4.617 हैक्टेयर नहरी भूमि वसीयत के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के हक में इन्तकाल दर्ज का आदेश दिया गया, मनसुख किये जाने हेतु।

उपस्थित :

1. श्री विक्रम बिश्नाई, अधिवक्ता, अपीलार्थी
2. श्री प्रदीप सिहाग , रेस्पोडेन्टस संख्या 2/1 से 2/3
3. श्री जीतपाल सिंह सैनी रेस्पोडेन्ट संख्या 1

:: आदेश :: दिनांक :–15.04.2025

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि :–

1. यह कि आदेश अधीनस्थ न्यायालय खिलाफ कानून वाकेयात व इन्साफ होने की वजह से निरस्त किये जाने योग्य है। आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न अपील है।
2. यह कि स्वर्ण सिंह पुत्र तेजा सिंह जाति जटसिख निवासी 5 एल एल अपीलांट के पिता थे। स्वर्ण सिंह के नाम चक 5 एल एल तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 35 व 41 की 4.617 हैक्टेयर भूमि थी। यह भूमि स्वर्ण सिंह को अपने पिता तेजा सिंह से प्राप्त हुई थी और यह भूमि स्वर्ण सिंह की स्वयं अर्जित सम्पत्ति नहीं थी। अपीलांट के पिता ने इस सम्पत्ति की कोई भी वसीयत रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के पक्ष में निष्पादित नहीं की थी। श्री स्वर्ण सिंह को उक्त सम्पत्ति अपने पिता से प्राप्त होने से

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

उनके पास यह सम्पत्ति पैतृक सम्पत्ति के रूप में थी और पैतृक सम्पत्ति की वसीयत कानूनन निष्पादित नहीं की जा सकती थी। अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर गौर न कर जो आदेश पारित किया है वह निरस्त किये जाने योग्य है।

3. यह कि अपीलांट के पिता स्वर्ण सिंह के तीन पुत्र अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 है। स्वर्ण सिंह के दो पुत्रियां भी है। स्वर्ण सिंह अपने तमाम पुत्र/पुत्रियों से एक समान ही स्नेह रखते थे। अकेले रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के हक में स्वर्ण सिंह द्वारा कोई वसीयत करने का प्रश्न पैदा नहीं होता था। ऐसी सूरत में रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा स्वर्ण सिंह के नाम से बनाई गई वसीयत एक फर्जी दस्तावेज है और ऐसी वसीयत स्वर्ण सिंह द्वारा निष्पादित नहीं हो सकती है। रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने आपसी साजिश के फलस्वरूप फर्जी वसीयत बनाई है। फर्जी वसीयत के आधार पर इन्तकाल दर्ज करने का आदेश दिया है, जो खारिज किये जाने योग्य है।
4. यह कि वसीयत जो नकल अधीनस्थ न्यायालय में पेश हुई है उसमें अपीलांट का नाम बतौर पुत्र स्वर्ण सिंह लिखा हुआ है। स्वर्ण सिंह की दोनों पुत्रियों का नाम सुखविन्द्र कौर व धर्मपाल कौर वसीयत में लिखे हुए हैं। स्वर्ण सिंह के नाम से किसी वसीयत के निष्पादन के बारे में जांच करने में अपीलांट व स्वर्ण सिंह की पुत्रियों को व्यक्तिगत नोटिस दिया जाना आवश्यक था। अपीलांट व अपीलांट की दोनों बहनों को नोटिस दिये वगैर जो आदेश जेर अपील पारित किया गया है वह सहज न्याय के सिद्धांतों के विपरीत एक पक्षीय रूप से अपीलांट व उसकी बहनों को बिना सुनवाई का अवसर दिये पारित किया है वह इसी आधार पर निरस्त होने योग्य है।
5. यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने वसीयत की जांच के बारे में गवाह सर्वजीत कौर के ब्यान का सहारा लिया है, परन्तु इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया गया कि गवाह सर्वजीत कौर वसीयतग्रहिता गुरेन्द्र सिंह की ही पत्नी है व दूसरा गवाह इनके घर का आदमी है। इससे दोनों गवाहान के ब्यान विश्वसनीय नहीं थे। वसीयत की जांच करने में अपीलांट व उसकी बहनों से पूछा जाना आवश्यक था। वसीयत सही होने के बारे में सही जांच न कर इसे इन्तकाल का आधार बनाने में सख्त गलती की गई है।
6. यह कि जिन दो गवाहान के ब्यान लिये हैं उन्होनें यह नहीं कहा कि वसीयत स्वर्ण सिंह ने अपनी स्वेच्छा से सोच समझकर, स्वच्छचित से, बिना किसी दबाव व प्रभाव से स्वतन्त्र इच्छा से निष्पादित की है। स्वर्ण सिंह वसीयतग्रहिता गुरेन्द्र सिंह के साथ रहता था और उसी पर पूर्ण रूप से आश्रित था। कथित वसीयत गुरेन्द्र सिंह व उसकी पत्नी के प्रभाव मुक्त अवस्था में की गई थी ऐसी कोई साक्ष्य नहीं थी। ऐसी सूरत में आदेश अधीनस्थ न्यायालय निरस्त किये जाने योग्य है।
7. यह कि उप तहसीलदार को वसीयत की वैधता के बारे में जांच कर उस पर निर्णय देने की अधिकारिता नहीं थी। वसीयत हुई है या नहीं इस बात की जांच सिविल न्यायालय द्वारा पूर्व में की जानी आवश्यक थी। इसके अभाव में भूमि का विरास्तन इन्तकाल किया जाना इन्साफन आवश्यक था, जो नहीं करने में सख्त गलती की गई है। आदेश मन्सूख होने योग्य है।
8. यह कि कृषि भूमि के इन्तकाल के बारे में व इन्तकाल स्वीकृत करने के आदेश देने की शक्तियां राज्य सरकार द्वारा संबंधित ग्राम पंचायत को दी गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने इन्तकाल हेतु आवेदन पत्र पेश होने पर प्रकरण संबंधित ग्राम पंचायत को भेजा जाना कानूनन आवश्यक था। ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित समय में कार्यवाही न

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

करने पर ही अधीनस्थ न्यायालय सक्षम था। आदेश अधीनस्थ न्यायालय बिना अधिकार के पारित किया गया होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

9. यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने सर्व साधारण को सूचना हेतु सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करने का आदेश दिया है और इसकी सूचना दैनिक समाचार पत्र, दैनिक लोक सम्मत अखबार में प्रकाशित की गई है। दैनिक लोक सम्मत अखबार का चलन केवल शहरी क्षेत्र व सीमित क्षेत्र में ही है। दैनिक लोक सम्मत अखबार अपीलांट के गांव में नहीं जाता है और सार्वजनिक सूचना की कोई जानकारी अपीलांट को नहीं हुई है। अपीलांट को सार्वजनिक सूचना की कोई जानकारी न होने से और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा व्यक्तिगत सूचना अपीलांट को न देने से आदेश अधीनस्थ इस बिन्दु पर निरस्त किये जाने योग्य है।

10. यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को कोई सुनवाई का अवसर नहीं दिया और न अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकार बनाया। अपीलाधीन आदेश से अपीलांट के पिता की भूमि का इन्तकाल रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज किया गया है और अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के आदेश से व्यथित है और अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के विरूद्ध माननीय न्यायालय की अनुमति से अपील प्रस्तुत करने का अधिकारी है। अपील की अनुमति हेतु धारा 96 सीपीसी का आवेदन पत्र अलग से पेश है।

11. यह कि अपीलाधीन आदेश पूर्ण रूप से अपीलांट को बिना नोटिस दिये अपीलांट की गैर हाजिरी में पारित किया है। अपीलांट को आदेश जेर अपील की कोई जानकारी नहीं थी। अपीलांट ने अपने पिता स्वर्ण सिंह की मृत्यु के बाद भूमि का विरासतन इन्तकाल करवाने के संबंध में दिनांक 02.08.2023 को पटवारी हल्का से सम्पर्क किया और उससे विरासतन इन्तकाल के बारे में चर्चा की, तो पटवारी हल्का ने बताया कि वसीयत के आधार पर इन्तकाल रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के नाम करने का आदेश दिनांक 30.07.2021 को दिया जाकर इन्तकाल दिनांक 25.11.2021 को तस्दीक भी किया जा चुका है। इससे पूर्व अपीलांट को आदेश जेर अपील एवं इन्तकाल तस्दीक कर दिये जाने की कोई जानकारी नहीं थी। इस कारण अपीलांट पूर्व में अपील दायर नहीं कर सका था और अपील दायर करने में जो देरी हुई है उसकी क्षमा के लिए पृथक् से आवेदन पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अपील आदेश की जानकारी दिनांक 02.08.2023 को होने से नकल प्राप्त कर यह अपील इल्म से अन्दर अवधि प्रस्तुत है, जो माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार की है और उचित न्याय शुल्क पर पेश है।

12. यह कि रेस्पोडेंट सं. 2 जसवीर सिंह का देहान्त दिनांक 24.07.2023 को हो चुका है। अपील में रेस्पोडेंट संख्या 2 के विधिक वारिसान 2/1 से 2/3 को पक्षकार बनाया जा रहा है।

13. यह कि अन्य आपत्तियां बरवक्त बहस अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड आने पर उठाई जायेगी।

अतः अपील प्रस्तुत करके निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर आदेश जेर अपील दिनांक 30.07.2021 निरस्त फरमाया जावे।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 2/1 से 2/3 की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि :—

अपीलांट द्वारा उपरोक्त अनवानी अपील उप–तहसीलदार (भू–अभिलेख) चूनावढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.07.2021 एवं इंतकाल संख्या 126 दिनांक 25.11.2021 के विरूद्ध भिन्न–भिन्न प्रस्तुत की गई है जिसमें रेस्पोडेंट संख्या 2/1 ता 2/3 द्वारा लिखित बहस संयुक्त रुप से निम्न अनुसार प्रस्तुत करते है।

1. इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में अंकित तथ्यों के अनुसार यह स्वीकृत तथ्य है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के पक्ष में जो पंजीकृत वसीयत दिनांकित 27.02.2015 स्वर्ण सिंह पुत्र तेजा सिंह के द्वारा निष्पादित एवं पंजीबद्ध करवाई गई है उक्त वसीयत के आधार पर रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के पक्ष में प्रश्नगत भूमि का इंतकाल दर्ज करने हेतु विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 30.07.2021 को आदेश पारित कर दिया गया तथा उक्त वसीयत के आधार पर दिनांक 25.11.2021 को इंतकाल स्वीकृत हो चुका है। अब ऐसी दशा में विधिक स्थिति यह है कि नामान्तरण कार्यवाही एक सरसरी कार्यवाही है जिसमें किसी के अधिकारों का निर्णय नहीं होता है तथा अगर कोई व्यक्ति किसी भूमि में अपना स्वामित्व, हक व अधिकार प्राप्त करना चाहता है तो वह न्यायालय में अपने अधिकारों के बाबत नियमित वाद पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। इस प्रकार अपीलार्थी का अगर प्रश्नगत भूमि में अधिकार बनता है तो वह घोषणा का वाद सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत कर अपने हक व अधिकार प्राप्त कर सकता है न की वह पंजीकृत वसीयत के अस्तित्व में रहते नामान्तरण की कार्यवाही को चुनौती देने का अधिकारी है। नामान्तरण की कार्यवाही में वसीयत की वैधता को चुनौती विधिनुसार नहीं दी जा सकती है। अपीलाधीन आदेश के प्रकरण में उप–तहसीलदार के द्वारा एक पंजीकृत वसीयत को ब्यानों से प्रमाणित होना मानते हुए तथा समस्त विधिक प्रावधानों की अनुपालना करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर नामान्तरण स्वीकृत किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं प्रतीत होती है। विचारण न्यायालय द्वारा वसीयत के हाशिया गवाहान के ब्यान लेखबद्ध करते हुए तथा दैनिक समाचार पत्र में सूचना आम प्रकाशित करने के पश्चात अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है तथा पंजीकृत वसीयत के अस्तित्व में रहते विरासत का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। ऐसे में वसीयत के आधार पर अपीलाधीन आदेश जो विचारण न्यायालय द्वारा पारित किया गया है वह श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार के तहत पारित किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार के न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

2. रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के पक्ष में जो उनके पिता द्वारा प्रश्नगत सम्पत्ति की वसीयत निष्पादित की गई है वह उनके स्वयं की व्यक्तिगत भूमि थी। अपीलार्थी द्वारा उक्त भूमि को पैतृक की संज्ञा दी गई है तथा पैतृक भूमि होने के संबंध में अर्थात चार पीडी से उक्त भूमि चली आ रही हो ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया है जिससे उक्त तथ्यों को बल प्राप्त होता हो। जहां तक अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में इंतकाल दर्ज करने की क्षेत्राधिकारिता ग्राम पंचायत को प्राप्त होना अंकित किया गया है तो तहसीलदार ही इंतकाल संबंधी कार्यवाही करने में सक्षम अधिकारी है न की ग्राम पंचायत। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत भी जारी किया गया है जो प्रस्तुत लिखित

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) * श्रीगंगानगर (राज.) *

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

बहस है। इस प्रकार उक्त प्रकरण में पंजीबद्ध वसीयत के आधार पर अपीलाधीन आदेश नामान्तरण की कार्यवाही प्रभाव में आई है तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ऐसी दशा में यह न्यायिक दृष्टांत जारी कर सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है कि वसीयत की वैधता राजस्व न्यायालय द्वारा निर्णीत नहीं की जा सकती है तथा वसीयत के निष्पादन के पश्चात हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 लागू नहीं होगी एवं वसीयत को शून्य घोषित करने का अधिकार केवल सिविल न्यायालय को प्राप्त है। इस प्रकार जब तक पंजीकृत वसीयत विद्यमान है तब तक विरासत का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है, जब तक की सिविल न्यायालय द्वारा पंजीकृत वसीयत को शून्य घोषित नहीं किया जाता है। इस संबंध मे न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी 2020 पेज 1165, आर.आर.टी 2021 पेज 952, आर.आर.टी 2018 पेज 1552, आर.आर.टी 2020 पेज 271 एवं आर.आर.डी 2005 पेज 97, आर. बी.जे 2021 पेज 670, आर.बी.जे 2022 पेज 370 प्रस्तुत है।

3. इस प्रकार प्रस्तुत अपील के तथ्यों एवं विचारण न्यायालय के रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के नाम से पंजीकृत वसीयत के आधार पर विधिक प्रावधानों की पूर्ण अनुपालना कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि कारित की जानी प्रतीत नहीं होती है। अपीलार्थी द्वारा प्रश्नगत वसीयत को सिविल न्यायालय में निश्चित अवधि में चुनौती नहीं दी गई है तथा न ही अपने अधिकार प्राप्त करने हेतु कोई सक्षम कार्यवाही संचालित की गई है। जहां तक मियाद का प्रश्न है तो अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है जिसका कारण जो अंकित किया गया है वह निराधार है चूंकि पटवारी हल्का से दिनांक 02.08.2023 को अपीलार्थी का संपर्क करना अंकित किया गया है जबकि इस संबंध में कोई शपथ–पत्र संबंधित पटवारी का अपील के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे यह सत्य प्रतीत होता हो की अपीलार्थी को ज्ञान पटवारी हल्का से दिनांक 02.08.2023 को मिलने पर प्राप्त हुआ है। इस प्रकार केवल मात्र मिथ्या कथनों के आधार पर मियाद के संबंध में रचित कर उक्त अनवानी अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है जो मियाद के बिन्दू पर ही निरस्तनीय है। द्वितीय स्वर्ण सिंह वसीयतकर्ता अपीलार्थी का पिता है तथा उनकी मृत्यु कब हुई एवं उनकी मृत्यु पश्चात प्रश्नगत भूमि का इंतकाल के संबंध में अपीलार्थी को ज्ञान न होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में उक्त तथ्यों को जानबूझकर छुपाया गया है कि स्वर्ण सिंह की मृत्यु होने के कितने अंतराल के पश्चात वह प्रश्नगत भूमि के विरासतन इंतकाल करवाने की कार्यवाही हेतु पटवारी हल्का से मिला था।

अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील उपरोक्त विधिक आधार एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो के मध्यनजर निरस्त फरमाई जावे।

रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से लिखित बहस निम्न लिखित पेश हैं।

रेस्पोडेंट गुरेन्द्र सिंह की अधिवक्ता जीतपाल सिंह सैनी की ओर से दोनो अपील की कॉमन लिखित बहस निम्नप्रकार से हैः–

1. यह कि अपील संख्या 37/2023 अनवानी गुरशरण सिह बनाम गुरेन्द्र सिह में उप तहसीलदार चूनाबढ के आदेश दिनांक 30.7.2021 जिसकी रूह में वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज करने के आदेश दिये गऐ है के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

2. यह कि संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार से है कि स्वर्ण सिंह पुत्र तेजा सिंह जाति जटसिख निवासी 5 एल एल के नाम से मु0न0 35 व 41 की 4.617 हेक्टर भूमि थी जिसकी वसीयत स्वर्ण सिंह द्वारा अपने जीवनकाल में दिनांक 27.2.2015 को अपने पुत्र गुरेन्द्र सिंह व जसवीर सिंह के पक्ष में करवाई, स्वर्ण सिंह का दिनांक 12.8.2019 को देहान्त हो गया जिसके इंतकाल के लिए उपतहसीलदार चुनाबढ के समक्ष आवेदन किया गया पटवारी से रिपोर्ट ली गई पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में भूमि वसीयतकर्ता द्वारा खरीद करनी बताई गई जिसकी नकल पेश हुई आपत्ति हेतू दैनिक समाचार पत्र में विज्ञाप्ति निकाली गई, कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई वसीयत के गवाह बोहड सिंह व सर्वजीत कौर के बयान दर्ज करवाये कि वसीयतकर्ता द्वारा अपने हस्ताक्षर उसके सामने करने तथा अपने हस्ताक्षर करने के बयान दिये है प्रार्थी गुरेन्द्र सिंह द्वारा भी अपने ब्यान दर्ज करवाये गये इसके उपरन्त वसीयत के आधार पर नामान्तरण दर्ज करने के दिनांक 30.7.2021 को आदेश दिये गये। जिस पर पटवार हल्का द्वारा इंतकाल स० 126 दर्ज किया गया है।

3. यह कि अपीलांट द्वारा अपनी अपील में उक्त भूमि स्वर्ण सिंह की स्वयं अर्जित सम्पति नही है तथा कोई वसीयत रेस्पोडेट स० 1 व 2 के पक्ष में नही करवाई अंकित किया है इसके अलावा पैरा स० 3 में वसीयत एक फर्जी दस्तावेज है और ऐसी वसीयत स्वर्ण सिंह द्वारा निष्पादित नही हो सकती है रेस्पोडेंट स० 1 व 2 ने आपसी साजिश के फलस्वरूप फर्जी वसीयत बनाई है फर्जी वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज करने के आदेश दिये है अंकित किया है तथा पैरा स० 4 में स्वर्ण सिंह की पुत्रियो को व्यक्तिगत नोटिस दिया जाना आवश्यक था अंकित किया है।

4. यह कि स्वर्ण सिंह पुत्र तेजा सिंह द्वारा अपने जीवनकाल में अपनी स्वयं अर्जित सम्पति की वसीयत जसवीर सिह व गुरेन्द्र सिंह के पक्ष में की दिनांक 27.2.2015 को पूर्ण होशहबाश व रोबरू गवाहन के समक्ष करवाइ गई तथा जिला पंजीयक श्रीगंगानगर के प्रस्तुत की गई तथा जिला पंजीयक श्रीगंगानगर द्वारा रजिस्टर्ड भी की गई है दौराने पटवारी रिपोर्ट भूमि वसीयतकर्ता की खरीदशुदा बताई गई है भूमि पैतृक नही है पैतृक भूमि के राम्बन्ध में पत्रावली पर कोई साक्ष्य नही है।

5. यह कि वसीयत रजिस्टर्ड होने पर उसकी प्रमाणितकर्ता के सम्बन्ध में उपधारणा है जिसके सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित है। 2020(1) RRT 316 Presumption regarding genuineness of will

6. यह कि नामान्तरण की कार्यवाही में वसीयत की वैद्यता को चुनौती नहीं दी जा सकती है इस सम्बन्ध में माननीय राजस्व मण्डल का निर्णय निम्नलिखित है। 2021(2) RRT 952] Legality of will cannot be assailed in the mutation proceeding

7. यह कि गोदनामा या वसीयत के आधार पर विवादित भूमि के संबंध में अधिकार या हित का कोई निर्णय या निर्धारण नही हुआ है ऐसे जटिल मुदद नामान्तण की समरी कार्यवाही मे तय नही हो सकते इसके लिए सक्षम न्यायालय में जाना चाहिये इस सबंध में माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिख्त है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

2003 (3) DNJ 1143] As till today there has been no adjudication or determination of the title or right or interest of the rival parties in respect of the land in dispute on the basis of adoption or wills] such complicated issues cannot be determined in fiscal proceedings and the board of revenue had not issued any direction to make the mutation entry in favour of either of the parties rather it left open to be made in accordance with the decision of the competent court/forum

8. यह कि रेस्पोडेंट गुरेन्द्र सिंह के मो0न0 9950541882 व अपीलांट के मो०न० 9928044487 पर दिनांक 6.1.2024 को सुबह 8.30 ए.एम. पर बात हुई है इस मोबाईल वार्तालाव में गुरशरण सिंह ने उक्त वसीयत के सबंध में कोई विवाद नही है बताया है केवल दूसरे विवादो को हल करवाने के लिए वसीयत को विवदित कर अपील करना बताया है इस वार्तालाव की सीडी व उसका अनुवाद पत्रावली पर मौजूद है जिसे साफ है कि अपीलांट को इस वसीयत को कोई ऐतराज नही है।

9. यह कि अपीलांट द्वारा इस रजिस्टर्ड वसीयत को किसी भी सिविल न्यायालय में चुनौती नही दी है जबकि अपीलांट द्वारा अपील में वसीयत को फर्जी कहा है इस सम्बन्ध में अपीलांट द्वारा कोई भी एफआईआर दर्ज नही करवाई है।

10. यह कि अपील इंतकाल आदेश व इंतकाल के दो साल वाद पेश की है जो कि मियाद से वाहर है ऐसी स्थिति में दोनो अपीले मियाद के आधार पर खारिज की जानी आवश्यक है।

अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलांटस की दोनो अपीलें खारिज की जावे तो श्रीमान की कृपा होगी।

अधिवक्त अपीलार्थी ने अपनी लिखित बहस में कथन किया कि :–

1. यह कि अपीलाण्ट ने उपरोक्त शीर्षक की दो अपीलें 37/2023 व 38/2023 प्रस्तुत की है इन अपीलों में अपील संख्या 37/2023 उप तहसीलदार चुनावढ़ के आदेश दिनांक 30.07.2021 अपीलाण्ट के पिता स्वर्ण सिंह पुत्र तेजा सिंह की कृषि भूमि वाके चक 5 एलएल के मुरब्बा नम्बर 35 व 41 की कुल 4.617 है। नहरी भूमि की वसीयत स्वर्ण सिंह द्वारा की जाना मानकर इसके आधार पर रेस्पोडेण्ट गुरेन्द्र सिंह व जसवीर सिंह के हक में इन्तकाल दर्ज करने का आदेश पटवारी हल्का को दिया गया है के विरुद्ध पेश की है। इस वसीयत में स्वर्ण सिंह ने अपीलाण्ट को अपना पुत्र व अपनी पुत्रियां होना स्वीकार किया है। इस वसीयत के बारे में जांच करने का कोई अधिकार तहसीलदार हल्का को नही था, इंतकाल के मामले में राजस्व मण्डल का निम्न निर्णय उल्लेखनीय है 2012 आरआरडी पेज नम्बर 765 व 1998 आरआरडी पेज नम्बर 553 की नकल संलग्न बहस है।

2. यह कि उप तहसीलदार हल्का ने इस वसीयत के बारे में जो जांच शुरू की है उसका पूर्व में नोटिस अपीलाण्ट व स्वर्ण सिंह की पुत्रियों को दिया जाना कानूनन आवश्यक था जिससे अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट की बहने कथित वसीयत के बारे में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देती। स्वर्ण सिंह द्वारा कोई वसीयत रेस्पोडेण्ट के हक में

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

निष्पादित व सत्यापित नही की थी। आदेश अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित किया गया है, **Rajasthan Land Record Rule** के नियम 121 के उपनियम 4 के अनुसार इन्तकाल की जांच के सम्बन्ध में संबंधित पक्षकारों अपीलाण्ट व अपीलाण्ट की बहनों को नोटिस दिया जाना व उनको सुना जाना आवश्यक था, नियम की संबंधित प्रतियों संलग्न बहस है।

3. यह कि वादग्रस्त सम्पति स्वर्ण सिंह को अपने पिता तेजा सिंह से विरास्तन प्राप्त हुई थी, और पैतृक सम्पत्ति की वसीयत नही की जा सकती है। इसी आधार पर ही स्वर्ण सिंह द्वारा कथित वसीयत बिना अधिकार की गई होने से वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज करने का आदेश नही दिया जा सकता है। जसवीर सिंह के वकील ने अपनी बहस दिनांक 18.03.2025 में यह स्वीकार किया है कि वादग्रस्त सम्पति स्वर्ण सिंह को अपने पिता से प्राप्त हुई थी और पैतृक सम्पत्ति की वसीयत निष्पादित नही की जा सकती थी। इस स्वीकृति से भी आदेश उप तहसीलदार निरस्त किये जाने योग्य है। पटवारी हल्का ने इस संबंध में बिना तथ्यों की जांच किये यह गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की कि वादग्रस्त सम्पत्ति स्वर्ण सिंह की खरीदशुदा भूमि है और खरीद की गयी भूमि का इंतकाल भी पेश किया है, परन्तु पटवारी हल्का ने इस बात की जांच नही कि कि जिस भूमि का इंतकाल किया जाना है वह भूमि खरीद की गई भूमि से भिन्न है। उप तहसीलदार हल्का ने भी इस बात की जांच नहीं की और पटवारी हल्का की रिपोर्ट को बिना जांच किये अपने आदेश से वादग्रस्त सम्पत्ति को पैतृक सम्पत्ति न मानकर खरीद की गई होना करार दे दिया है आदेश उप तहसीलदार बिना जांच तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

4. यह कि उप तहसीलदार ने अपीलाण्ट को व्यक्तिगत नोटिस नही दिये उप तहसीलदार ने पक्षकारों के तामील के बारे में प्रारम्भिक प्रक्रिया में पक्षकारों को व्यक्तिगत सूचना के लिये उनके नाम नोटिस जारी करना आवश्यक है उसकी पालना किये बिना दैनिक लोक सम्मत अखबार में अपीलाण्ट की तामील न करवाने के बहाने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करवा दी दैनिक लोक सम्मत अखबार का चलन केवल शहरी सीमा में है शहर से बाहर इसका कोई वितरण नही है ऐसे अखबार के प्रकाशन से अपीलाण्ट को कोई सूचना नही हो सकती है। कार्यवाही पूर्णरूप से बिना सूचना के सम्पन्न की गई है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

5. यह कि इन्तकाल सम्बंधित समस्त अधिकार राज्य सरकार से संबंधित ग्राम पंचायत को अन्तरित किये जा चुके हैं उप तहसीलदार प्रकरण को ग्राम पंचायत को प्रेषित न कर खुद अपने स्तर पर जो कार्यवाही की है वह विधि विरूद्ध बिना अधिकार के की गई होने से आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। इस सम्बन्ध में निम्न निर्णय उल्लेखनीय है 2002 आरआरडी पेज नम्बर 338 इन आधारों पर अपील संख्या 37/2020 व अपील संख्या 38/2020 चुनौतीधीन होने से आदेश उप तहसीलदार निरस्त होने योग्य है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशा.) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

6. यह कि उप तहसीलदार के आदेश दिनांक 30.07.2021 की पालना में पटवारी हल्का ने इंतकाल संख्या 126 दर्ज कर उप तहसीलदार को प्रस्तुत कर दिया, उप तहसीलदार ने इस इंतकाल स्वीकृति आदेश दिनांक 25.11.2021 में कोई कानूनी प्रक्रिया नही अपनाई और केवल गिरदावर व पटवारी रिपोर्ट का हवाला देते हुए इंतकाल स्वीकृत करने का आदेश दिया जो विधि विपरीत होने की वजह से और अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना एकपक्षीय रूप से बिना जांच पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि आदेश अधीनस्थ न्यायालय निरस्त किया जाकर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का गहनता से अवलोकन किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख का अवलोकन करने पर पाया गया कि रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के पक्ष में जों पंजीकृत वसीयत दिनांक 27.02.2015 स्वर्ण सिंह पुत्र तेजा सिंह के द्वारा निष्पादित एवं पंजीबद्ध करवाई गई है उक्त वसीयत के आधार पर रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के पक्ष में विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 30.07.2021 को आदेश पारित कर दिया गया तथा उक्त वसीयत के आधार पर दिनांक 25.11.2021 को इंतकाल स्वीकृत किया जा चुका है। नामान्तरण की कार्यवाही में वसीयत की वैधता को चुनौती विधिनुसार नहीं दी जा सकती है। अपीलाधीन आदेश के प्रकरण में उप-तहसीलदार के द्वारा एक पंजीकृत वसीयत को ब्यानों से प्रमाणित होना मानते हुए तथा समस्त विधिक प्रावधानों की अनुपालना करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर नामान्तरण स्वीकृत किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं प्रतीत होती है। नामान्तरण कार्यवाही एक सरसरी कार्यवाही है जिसमें किसी के अधिकारों का निर्णय नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति किसी भूमि में अपना स्वामित्व, हक व अधिकार प्राप्त करना चाहता है तो वह न्यायालय में अपने अधिकारों के बाबत नियमित वाद पत्र प्रस्तुत कर अपने अधिकार प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है। अपीलार्थी का अगर प्रश्नगत भूमि में कोई अधिकार बनता है तो वह घोषणा का वाद सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत कर अपने हक व अधिकार प्राप्त कर सकता है। विचारण न्यायालय द्वारा वसीयत के गवाहान के ब्यान लेखबद्ध करते हुए तथा दैनिक समाचार पत्र में सूचना आम प्रकाशित करने के पश्चात अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है तथा पंजीकृत वसीयत के अस्तित्व में रहते विरासत का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। ऐसे में वसीयत के आधार पर अपीलाधीन आदेश जो विचारण न्यायालय द्वारा पारित किया गया है वह श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार के तहत पारित किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार के न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपीलार्थी द्वारा उक्त विवादित भूमि को पैतृक की संज्ञा दी गई है। पैतृक भूमि होने के संबंध में अर्थात चार पीडी से उक्त भूमि चली आ रही हो ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया है जिससे उक्त तथ्यों को बल प्राप्त होता हो। रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के पक्ष में जो उनके पिता द्वारा प्रश्नगत सम्पत्ति की

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

वसीयत निष्पादित की गई है वह उनके स्वयं की व्यक्तिगत भूमि मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का अनुसार प्रमाणित है। वसीयत को शून्य घोषित करने का अधिकार केवल सिविल न्यायालय को प्राप्त है। जब तक पंजीकृत वसीयत विद्यमान है तब तक विरासत का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। इस प्रकार प्रस्तुत अपील के तथ्यों एवं विचारण न्यायालय के रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के नाम से पंजीकृत वसीयत के आधार पर विधिक प्रावधानों की पूर्ण अनुपालना कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि कारित की जानी प्रतीत नहीं होती है।

इस प्रकार, अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार चूनावढ द्वारा वसीयत के आधार पर जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.07.2021 पारित किया गया है वह विधिसम्मत् है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि होना नहीं पाया जाता है। फलस्वरूप, अपील अपीलांट खारिज की जाती है। आदेश की प्रति मय रिकॉर्ड के साथ अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 15.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाष कुमार)
अति0 जिला कलक्टर
(प्रशासन)श्रीगंगानगर